छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1113/2007

1. श्री सुजीत शर्मा, – *अपीलार्थी*
सामाजिक कार्यकर्ता, शांति नगर,
दुर्ग रोडद्व बेमेतरा, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,
बेमेतरा, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 18 फरवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सुजीत शर्मा द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा, जिला–दुर्ग के समक्ष दिनांक 25.07.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा के समक्ष दिनांक 27.08.2007 को अपील भी प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर दिनांक 12.09.2007 को जानकारी देने के निर्देश के बाद भी उन्हें दिनांक 20.09.2007 को शुल्क जमा कराने के लिए लिखा गया, किन्तु शुल्क का आधार पूछने पर दिनांक 11.10.2007 को राशि 26 रूपये जमा करने के लिए कहा गया तथा उनके द्वारा राशि जमा करने पर दिनांक 24.01.2007 को जन सूचना अधिकारी, जनपद पंचायत, बेमेतरा को पत्र भेजा गया, किन्तु उसके बाद भी उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हुई, इससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 19.11.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में प्रथम सुनवाई में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उपस्थित हुये थे और उनसे संबंधित जानकारी मिल जाने से अपीलार्थी संतुष्ट हो गये, किन्तु शेष जानकारी के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बेमेतरा को आवेदन हस्तांतरित करना बताया गया और उन्होंने दिनांक 14.11.2007 के पत्र से अधिक शुल्क की मॉग की तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, तत्पश्चात् कुछ जानकारी अपीलार्थी को प्रदान की गई, किन्तु पूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की गई । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा दिनांक 10.12.2008 को कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया और उन्होंने तत्कालीन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/वर्तमान सहायक संचालक, शिक्षा श्री ए0के0 मारकण्डेय को जिम्मेदार बताया, अतः उन्हें भी पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर से यह बताया गया कि कुछ जानकारी अनुविभागीय अधिकारी, बेमेतरा के यहॉ जॉच हेतु जमा की गई थी, जो नहीं मिली है और शेष जानकारी उपलब्ध थी वह प्रदान की गई है । श्री ए0के0 मारकण्डेय ने भी अपने उत्तर में बताया कि उन्हें दिनांक 28.07.2007 को आवेदन प्राप्त हुआ था और दिनांक 04.

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

08.2008 को उनका स्थानांतरण हो गया, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है, अतः श्री ए0के0 मारकण्डेय का कोई दोष प्रतीत नहीं होता है, अतः उन्हें जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की ओर से पूरा रिकार्ड जमा था और अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व के यहाँ कितना रिकार्ड उसमें से अब वापस प्राप्त हुआ और कितनी प्राप्त नहीं हुया, यह निश्चित जानकारी नहीं है, जबकि अपीलार्थी का कहना है कि इस संबंध में जॉच पूर्ण हो गई है और जॉच के बाद कलेक्टर को भी अनुशंसा की गई तथा उसके बाद जिन शिक्षाकर्मियों की गलत नियुक्तियॉ हुई, उनकी नियुक्तियॉ भी निरस्त की गई है और जिन्होंने मा0 उच्च न्यायालय में जाकर स्थगन प्राप्त किया है, किन्तु कलेक्टर के द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश थे, उसका भी पालन अभी–तक नहीं किया गया है और अपीलार्थी को समस्त संबंधित रिकार्ड की आवश्यकता है, ताकि वे भी मा0 उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रख सके, क्योंकि उक्त शिक्षाकर्मियों की भर्ती में काफी अनियमितता बरती गई है, जिसमें जनपद पंचायत के कुछ स्टॉफ सदस्य लिप्त है । इस प्रकरण में जनपद पंचायत की ओर से वास्तविक विलंब करना प्रतीत होता है, अतः तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बेमेतरा के विरूद्ध राशि 2000/– रूपये की शास्ति अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत आरोपित की जाती है । साथ ही यह भी अनुशंसा की जाती है कि तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जो इस विलंब के लिए उत्तरदायी है और उनके कार्यालय के अन्य लिपिक जिनमें श्री दीक्षित, शाखा प्रभारी का नाम विषेश रूप से उल्लेखित किया गया है और जिन्होंने नस्तियॉ उपलब्ध होते हुए भी उपलब्ध नहीं करायी है, उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को की जाती है । साथ ही प्रकरण में अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि इस संबंध में पूरे रिकार्ड की खोजबीन करावे और जहॉ रिकार्ड उपलब्ध हो, वहॉ से अपीलार्थी को शेष जानकारी का निःशुल्क निरीक्षण कराया जाकर उसके पश्चात् 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क जानकारी प्रदान की जावे । साथ ही प्रकरण में विलंब और अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत जनपद पंचायत की ओर से राशि 500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com